सीमा बनाम रामप्रकाश

अपील संख्या : 2020/00186

22.06.2021	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी ने धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि इस न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2020 विधि न्याय एवं संचिका के तथ्यों के विपरीत है । न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2007 पेज 10, एआईआर 1983 (मुम्बई) पेज 12 का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है । राजीनामा समस्त पक्षकारों के मध्य होना चाहिए इस आपत्ति को नजरअन्दाज किया गया है । दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किये गये हैं जो कि विधिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है । इस आपत्ति को ही नजर अन्दाज किया गया है । मीणा जाति में महिलाओं को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है । इस आपत्ति पर भी ध्यान नहीं दिया गया है । अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे । अप्रार्थी ने कथन किया कि रिव्यू का बहुत सीमित क्षेत्र होता है । ऐसी त्रुटि जो Apparent on the face of record हो उसी को दुरूस्त किया जा सकता है । यदि प्रार्थी इस निर्णय से अप्रसन्न हैं तो उन्हें इसकी अपील करनी चाहिए । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । हमने रिव्यू प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.11.2020 के विरूद्ध धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 47 सीपीसी के अनुसार रिव्यू उसी स्थिति में किया जा सकता है जब Apparent on the face of record कोई त्रुटि पाये जावे । रिव्यू के माध्यम से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुनः सुनवाई नहीं की जा सकती केवल Apparent on the face of record कोई त्रुटि हो तो ही उसे दुरूस्त किया जा सकता है । तद्नुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2020 के विरूद्ध प्रार्थी माननीय राजस्व मण्डल में अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं । निर्णय आज दिनांक 22.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । 22/6/2021 (भागवंती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा